कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

सामान्य सभा की बैठक दिनांक 23.08.2017

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक **23.08.2017** को पूर्वान्ह 11.30 बजे से जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक श्रीमती सुभद्रा सलाम, माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गयी । बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी / अधिकारीगण उपस्थित रहे :—

पदाधिकारीगण :—

1 श्रीमती सुभद्रा सलाम, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर ।
2 श्रीमती कृष्णा देवी सिन्हा, माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर ।
3 श्रीमती धीरज नेताम, सदस्य जिला पंचायत उ.ब. कांकेर ।
4 श्री बिरेश ठाकुर, सदस्य जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर।
5 श्रीमती आरती प्रदिप्त बनिक, सदस्य जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर।
6 सुश्री शांता नुरूटी, माननीय सदस्य जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर।
7 श्री हेमेन्द्र बन्टी ठाकुर, सदस्य जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर ।
8 श्रीमती ललेश्वरी मोहन टॉडिया माननीय सदस्य जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर ।
9 श्रीमती मिथलेश शोरी, माननीय सदस्य जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर।
10 श्रीमती अमिता जीवन उइके, माननीय सदस्य जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर ।

अधिकारीगण :—

1. सुश्री, ऋचा प्रकाश चौधरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उ.ब कांकेर।
2 श्री डी.के. कुर्रे, अति.मु.का.अ. जिला पंचायत / उप संचालक, पंचायत उ.ब. कांकेर ।
3 श्री टी.एल. सहारे, कार्यपालन अभियंता सीएसईबी उ.ब. कांकेर ।
4 श्री के,व्ही. कौशले कार्यपालन अभियंता सीएसपीडीसीएल भानुप्रतापपुर ।
5 श्री पी.एस. सुधाकर कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उ.ब. कांकेर ।
6 श्री डी.राम, कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. भ/स उ.ब. कांकेर ।
7 श्री आर.के. गौड़, कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. भ/स भानुप्रतापपुर उ.ब. कांकेर ।
8 श्री जे.एल. उईके, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उ.ब. कांकेर ।
9 श्री अखिलेश शर्मा, डी.पी.एम. एन.एच.एम. उ.ब. कांकेर ।
10 श्री जे.एल. मण्डावी, अनुभाग कृषि अधिकारी उ.ब. कांकेर ।
11 श्रीमती ए.सी. किरण तिग्गा, जिला आयुर्वेद अधिकारी उ.ब. कांकेर ।
12 श्री जी.डी. प्रसाद, जिला श्रम अधिकारी, उ.ब. कांकेर ।
13 श्री एन.एल सोनकर, जिला खनिज अधिकारी, उ.ब. कांकेर ।
14 श्री जे.पी. बरिहा, सहायक संचालक, रेशम उ.ब. कांकेर ।
15 श्री ए.के. साय पैंकरा, जिला योजना सांख्यिकी अधिकारी उ.ब. कांकेर ।
16 श्री ए.आर. सिन्हा, लीड बैंक प्रतिनिधि, अग्रणी बैंक उ.ब. कांकेर ।
17 श्री एस.के. रामटेके, आरएचईओ/प्रतिनिधि उद्यान विभाग उ.ब. कांकेर ।
18 श्री एस.के. साहू, सहायक संचालक मछलीपालन उ.ब. कांकेर ।
19 डॉ. एन.श्रीवास्तव, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें उ.ब. कांकेर ।
20 श्री पी.आर.ध्रुव, उप वन मण्डल अधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर, जिला उ.ब. कांकेर ।

21. श्री आर.एस. मण्डावी, अनुविभागीय अधिकारी, वन, भानुप्रतापपुर पश्चिम ।
22 श्री बी.ई.पटेल, अनुविभागीय अधिकारी, वन सामान्य, उ.ब. कांकेर कांकेर ।
23 श्री वी.के. जामराकर, एसडीओ जल संसाधन उ.ब. कांकेर ।
24 श्री टी.आर. साहू जिला शिक्षा अधिकारी उ.ब. कांकेर ।
25 श्रीमती दीपा साह सीडीपीओ प्रति.कार्य. अधिकारी महिला एवं बाल विकास उ.ब. कांकेर ।
26 श्री जेवियर टोप्पो, प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उ.ब. कांकेर ।
27 श्री ए.के. वर्मा, ए.ई. प्रति. कार्यपालन अभियंता लो.स्वा यांत्रिकी उ.ब. कांकेर ।
28 श्री मानसिंह, उप अभि प्रति. कार्य. अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम संड़क योजना उ.ब. कांकेर।
29 सुश्री चांदनी चॉडक, उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम संड़क योजना उ.ब. कांकेर।
30 श्री खुबलाल साहू, उप अभियंता, उ.ब. कांकेर ।
31 श्री जी.आर. ठाकुर, खाद्य अधिकारी, उ.ब. कांकेर ।
32 श्री बी.आर. ठाकुर, जिला रोजगार अधिकारी उ.ब. कांकेर ।
33 श्री के.एस. सोनवानी,एससीओ, प्रतिनिधि डीआरसीएस उ.ब. कांकेर कांकेर ।
34 श्री एस.एल. वर्मा, नोडल सीसीबी उ.ब. कांकेर ।
35 श्री आशीष शोरी, शाखा प्रभारी पेंशन, समाज कल्याण, उ.ब. कांकेर कांकेर ।
36 श्री सचिन चौबे, डीआईओ, समाज कल्याण, उ.ब. कांकेर कांकेर ।
37 श्री एम.के. ठाकुर, उप अभियंता, सेतु निगम उ.ब. कांकेर ।
38 श्री एम.एन पाढ़ी, सहायक खाद्य अधिकारी उ.ब. कांकेर ।
39 श्री पी.के. पांडे,एससीओ, प्रतिनिधि डीआरसीएस उ.ब. कांकेर कांकेर ।
40 श्री योगेश हिमानी, एस.ए. डीएमओ कार्यालय उ.ब. कांकेर कांकेर ।
41 श्रीमती अनिता सोनी डी.एम. स्टेट सिविल सप्लाई उ.ब. कांकेर कांकेर ।
42 श्री वी.के. ताम्रकर, एसडीओ, जल संसाधन उ.ब. कांकेर कांकेर ।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के स्वागत उद्बोधन के साथ माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती सुभद्रा सलाम की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी । अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/उप संचालक पंचायत द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों एवं अधिकारियों को बैठक संबंधी एजेण्डा बिन्दु से अवगत कराया गया ।

एजेण्डा कमांक 1

एजेण्डा कमांक 1 अनुसार पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय विषयक विचारोपरांत कृत कार्यवाही के पालन बाबत् विभागवार चर्चा एवं माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित अनुसार निराकरण की वर्तमान स्थिति के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग को दिये गये निर्देशों के संबंध में सदन को अवगत कराते हुए बैठक की कार्यवाई आगे बढ़ाई गयी ।

एजेण्डा कमांक 2

एजेण्डा कमांक 2 अनुसार, वर्षा ऋतु में मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं माननीय जिला पंचायत पदाधिकारियों के मध्य स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जनसमुदाय से प्राप्त समस्याओं पर विचार–विमर्श उपरांत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा योजनाओं के कियान्वयन संबंधी विभागीय जानकारी की अद्यतन स्थिति से सदन को अवगत कराया गया । जिले में ऐपिडेमिक एवं महामारी के रोकथाम हेतु विभागीय कार्ययोजना के तैयारी की रूपरेखा से माननीय पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए निम्नांकित जानकारियॉ भी सदन के पटल पर प्रस्तुत की गयी जिसका विवरण अग्रअनुसार है :–

काम्बेक्ट टीप का गठन :– जिला स्तरीय महामारी नियंत्रण कक्ष काम्बेक्ट टीम के साथ जिला स्तरीय काम्बेक्ट टीम 01 एवं सभी विकासखण्डों में महामारी नियंत्रण हेतु कुल 41 टीम का गठन कर समस्त विकासखण्डों के समस्त सेक्टर चिकित्सा अधिकारियों के नेतृत्व में फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, महिला पुरूष सुपरवाईजर, कार्यकर्ता महिला/पुरूष, वाहन चालक वाहन के साथ में सेक्टर स्तर पर महामारी नियंत्रण हेतु काम्बेक्ट टीम का गठन किया जा चुका है । जो क्षेत्र में महामारी की सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही कर प्रभावित गांव में जाकर शिविर लगा कर प्रभावितों का ईलाज कर जिला महामारी नियंत्रण कक्ष जिसका दुरभाष नम्बर 07868–241063 एवं जिला सर्वेलेंस अधिकारी का मो.नं. 9926138424 पर सूचना देने के निर्देश दिये गये हैं ।

2 **स्वाइन फ्लू एवं दवाईयों का भण्डारण करना** :– स्वाइन फ्लू से बचाव व रोकथाम के लिए जिला चिकित्सालय कांकेर में आईसोलेशन वार्ड की स्थापना की गई है तथा जिला स्तर पर, सामुदायिक/ प्राथमिक/ उप स्वास्थ्य केन्द्र पर, डिपो होल्डर, मितानिन इत्यादि के पास पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाईयों के साथ–साथ जल शुद्धिकरण की दवाई, मलेरिया की दवाई आदि का पर्याप्त मात्रा में भंडारण आगामी तीन माह के लिए सुनिश्चित् किया गया है । साथ ही स्वाइन फ्लू से संबंधित दवाईयों एवं एन–95 मास्क जिले में उपलब्ध हैं एवं संदिग्ध मरीजों का सेम्पल राज्य भेजा जाता है ।

3 **मलेरिया की रोकथाम के लिए** :– मच्छरों की पैदावार रोकने के लिए जमा पानी की निकासी, बड़े डबरों में मि्ट्टी का तेल, मोबिल आईल इत्यादि डलवाना, तालाबों एवं बड़े जल स्त्रोतों में मच्छर लार्वा भक्षी गम्बूजिया मछली डलवाया जा रहा है । शाम के समय कड़वे नीम के पत्तों का धुँआ, मच्छदानियों का उपयोग एवं मलेरिया होने पर प्रत्येक बसाहटों में मितानिनों के पास मलेरिया त्वरित जॉच हेतु आर.डी. कीट, आई.आर.एस. एवं मलेरिया रोधी दवाईयों की व्यवस्था की गई है ।

4 **शुद्ध पेय जल की व्यवस्था** :– लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग के सहयोग से बिगड़े हेण्ड पम्पों के सुधार एवं ग्रामों में जल स्त्रोतों का शुद्धिकरण कर शुद्ध पेय जल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं । ए.एन.एम./ मितानिन/ कोटवार को शुद्ध पेयजल उपलब्धता की निगरानी / सूचना देने के लिए निर्देशित किया है ।

5 **पहुँच विहिन एवं समस्या मूलक ग्रामों का चिन्हांकन** :– 110 पहुँच विहिन ग्राम एवं 26 समस्या मूलक ग्राम एवं महामारी संभावित ग्राम 27 ग्रामों को चिन्हित कर शिविर लगाकर प्रभावित मरीजों का उपचार करना, दवाईयों का वितरण करना, साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम सम्पादित करने का निर्देश दिया गया है ।

6 **सूचना तंत्र को मजबूत करना** :– प्रत्येक पारा/ टोले में सूचना के लिए एक लिंक पर्सन मितानिन / कोटवार/ डिपोहोल्डर का चुनाव कर दिया गया है । सूचना देने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है ।

7 **सूचना, शिक्षा, संचार कार्यक्रम चलाना** :– सूचना, शिक्षा संचार के माध्यम से ग्रामीणों को उल्टी–दस्त,मलेरिया तथा अन्य संक्रामक बीमारियों के बारे में विस्तृत समझाईश देना तथा बीमारियों से बचाव तथा उपचार के बारे में शिक्षा देना कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य है । दीवाल लेखन, आरबीएसके टीम के माध्यम से साप्ताहिक स्कूलों/आंगनबाड़ी केन्द्रों में संक्रामक बीमारियों के संबंध में प्रचार–प्रसार किया गया है ।

8 **आकस्मिक मृत्यु का सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही** :– इस दौरान होने वाले सभी मृत्यु का सत्यापन कर लें कहीं मृत्यु का कारण संक्रामक बीमारी तो नहीं है यदि संदेह है तो उसकी रोकथाम के लिये वह सारे पहल जो महामारी नियंत्रण हेतु किये जाते हैं संक्रमण रोकने हेतु किया जावे इस हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित उपर्युक्त गतिविधियों के अतिरिक्त संचालित अन्य योजनाओं के प्रगति की जानकारी समिति के माननीय सदस्यों को प्रदान की गयी । जिसमें स्वास्थ्य विभाग संबंधी मानव संसाधन, भवन, विकास तथा स्वास्थ्य सूचकांको की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का प्रस्तुतिकरण सदन के समक्ष किया गया । जिसमें विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के उद्देश्य एवं हितग्राहियों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं एवं वितरित की जाने वाली राशि के बारे में जानकारी दी गई ।

यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में स्वाईन फ्लू रोकथाम हेतु दवायें पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध हैं । तीन महिने की दवायें केन्द्रों में उपलब्ध हैं । कोयलीबेड़ा क्षेत्र में मच्छरदानियों का शतप्रतिशत वितरण कर दिया गया है । आने वाले समय में शासन स्तर से शीघ्र ही सभी वर्गों के परिवारों को मच्छरदानी वितरित की जायेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्र में झोलाछाप डाक्टरों पर की गयी कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली गयी । अवगत कराया गया कि इस संबंध में कार्यवाही जारी है । माननीय सदस्य सुश्री शांता नुरेटी द्वारा अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र कोयलीबेड़ा का केबिन अभी खाली नहीं कराया गया है तथा संजीवनी 108 की सुविधा भी क्षेत्रवासियों को बाधित है । पखांजूर क्षेत्र में उक्त झोलाछाप डाक्टर ज्यादा हैं अतः वहॉ भी कार्यवाही की जावे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा ग्राम पांडरवाही में ग्रामीणों को बुखार एवं चक्कर की समस्या होने तथा महिला का प्रसव स्वास्थ्य केन्द्र में न कराकर प्राईवेट चिकित्सालय श्रीराम् हास्पिटल हेतु रिफर किये जाने की घटना का ध्यानाकर्षण किया गया जिस पर जॉच एवं कार्यवाही हेतु जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आश्वस्त किया गया ।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित ग्राम्य शिविरों के विषय में जानकारी दी गयी । माननीय सदस्य श्री बिरेश ठाकुर द्वारा आयोजित शिवरों की सूची माननीय जनप्रतिनिधियों को ब्लाकवार उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा स्माट कार्ड की प्रगति की जानकारी ली गयी । अवगत कराया गया कि निर्धारित लक्ष्य 166353 के विरूद्ध 162350 कार्ड बनाये जा चुके हैं । 97.51 प्रतिशत के लक्ष्य की पूर्ति कर ली गयी है ।

(कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग)

एजेण्डा कमांक 3

एजेण्डा कमांक 3 अनुसार वन विभाग द्वारा पौध रोपण के लक्ष्य एवं तैयारी तथा पौधों के देखरेख की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी । अनुविभागीय अधिकारी वन कांकेर द्वारा अवगत कराया गया कि कांकेर वन मंडल अंतर्गत 534.500 क्षेत्रफल हेक्टेयर के 4.00 कि.मी. रकबा में 847050 पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसे पूर्ण कर लिया गया है । रोपित पौधों में पथ वृक्षारोपण, नदी तट वृक्षारोपण, वन विकास अभिकरण, ग्रीन इंडिया मिशन, मनरेगा, कैम्पा, राष्ट्रीय औषधि बोर्ड, हरियर छ.ग. योजना, हरियाली प्रसार योजना तथा वन महोत्सव अंतर्गत पौध रोपण का कार्य किया गया है । पौधों में मुख्य रूप से मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण किया

जाता है । जिसमें सागौन, हर्रा, बेहड़ा, अर्जुन, शिशु, करंज, नीम, आंवला, गुलमोहर, करंज, साजा, बीजा, महुआ, बरगद, पीपल, कुसुम, ईमली, ऑवला, अशोक जैसी अनेक मिश्रित प्रजातियॉ हैं ।

उप वन मण्डल अधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कांकेर वन मंडल अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत वर्ष 22.08.2017 की स्थिति में वर्ष 2015 के 2 कार्य रू. 3036600 की लागत से प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी । जिसमें रू. 914967 व्यय किया जा चुका है, वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है । उक्त दोनों कार्य नारायणपुर एवं दमकसा नर्सरी के हैं जहॉ व्यय की गयी राशि से नर्सरी तैयारी की गयी तथा पौधा तैयारी का कार्य प्रगति पर है, जिसके आधार पर आगामी वर्ष 18–19 में इसे वितरित किया जा सकेगा ।

अनुविभागीय अधिकारी वन पश्चिम भानुप्रतापपुर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2016 में रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या वन मण्डल पश्चिम भानुप्रतापपुर अंतर्गत 1777000 है जिसे 1167.315 क्षेत्रफल हे. में रोपण का लक्ष्य रखा गया है लक्ष्य अनुसार् 1603012 पौधों का 965.050 हे. क्षेत्रफल में रोपण कर लिया गया है । पौधों में बॉस, सागौन, शिशम, अर्जुन, तथा किसानों को निःशुल्क वितरण हेतु मिश्रित पौधे, क्लोनल नीलगिरी रोपण, सेमियालता एवं कहुआ आदि लगाये गये हैं । मनरेगा अंतर्गत 114424 पौधे गत वर्ष लगाये गये थे । जिसमें से 6053 पौधे निःशुल्क वितरित किए गये हैं । इसके अतिरिक्त हरियाली प्रसार योजना अंतर्गत 200000, वन महोत्सव में 2000 पौधे, पौधा प्रदाय योजना अंतर्गत 17803, औषधीय पादप योजना अंतर्गत 64556 निःशुल्क पौधों का वितरण किया गया है । मुख्य मंत्री बाड़ी बांस योजना में 27000 का लक्ष्य प्राप्त है जिसे पूरा कर लिया जायेगा ।

माननीय सदस्य श्रीमती धीरज नेताम द्वारा विभागीय बॉध निर्माण संबंधी जानकारी प्राप्त की गयी । अवगत कराया गया कि यह बॉध निर्माण न होकर छोटे–छोटे जलाशय हैं जो विभागीय मद से वन्य प्राणियों के पानी पीने हेतु निर्मित किये गये हैं ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा लाख एवं रेशम उत्पादन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी । अवगत कराया गया कि लाख एवं रेशम रोजगार मूलक हैं इसका पालन समूहों के माध्यम से कराया जा रहा है ।

माननीय सदस्य सुश्री शांता नुरूटी द्वारा माध्यमिक शाला संबलपुर, कोड़ोसाल्हेभाट में पौध रोपण हेतु क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पौधे उपलब्ध नहीं कराये जाने हेतु ध्यानाकर्षित किया गया । उपस्थित वन अधिकारी द्वारा शीध्र ही उक्त संबंधित स्कूलों में पौधे उपलब्ध करा दिये जाने हेतु आश्वस्त किया गया ।

(कार्यवाही वन विभाग)

एजेण्डा कमांक 4

एजेण्डा कमांक 4 अनुसार, कृषि विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में अल्प वर्षा की स्थिति बनी हुयी है । खरीफ वर्ष 2017 फसलवार क्षेत्राच्छादन की प्रगति 2017 से सदन को अवगत कराया गया । धान का लक्ष्य वर्ष 2017 में 182.000 ह.हे. एवं पूर्ति 180.517 हजार हेक्टर में है । अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो कुटकी का लक्ष्य 204.050 ह.हे, पूर्ति 198.239 ह.हे., दलहन अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी लक्ष्य 19.400 ह.हे. पूर्ति 6.235 ह.हे. तिलहन तिल, रामतिल, सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी अरण्डी लक्ष्य 6.480 ह.हे. पूर्ति 1.741 ह.हे. है । अवगत

कराया गया कि जिले में अब तक 61525 हे. में बियासी हुयी है। रासायनिक खाद एवं भंडारण, वितरण लगभग पूरा एवं वितरण हेतु 1833 टन शेष है ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना खरीफ 2017 के लिए 50802 कृषकों के लिए प्रीमियम राशि 57704667.24 का बीमा क्षेत्रफल 87934.47 हे. एवं अऋणी कृषकों 7842 के लिए प्रीमियम राशि 3863992.38 बीमा क्षेत्रफल 6062.82 हे. में है ।

उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा ऋणी कृषकों के 31796 कृषकों के 59661.876 रकबा हेक्टेयर में बीमाधन रू. 1922907182 प्रीमीयम रू. 38468496 तथा अऋणी कृषकों के 2578 कृषकों के 2102.232 रकबा हेक्टेयर में बीमाधन रू. 67468907.20 प्रीमीयम रू. 1349378.14 की राशि जिले में 35 लैम्पस् के माध्यम से ऋणी एवं अऋणी कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंके कांकेर के द्वारा नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रदान की गयी है ।

माननीय सदस्यों द्वारा वितरित मक्का एवं डीजल पंप के साथ दिये जाने वाले पाईप संबंधी चर्चा की गयी अवगत कराया गया कि जमीन के नीचे पाईप उपलब्ध कराये जाते हैं बाहरी विस्तार हेतु हितग्राही स्वयं के व्यय अथवा अन्य योजना के लाभ से प्राप्त कर सकता है, बीजों का वितरण कर दिये जाने संबंधी जानकारी दी गयी । माननीय सदस्य श्रीमती शांता नुरूटी द्वारा वितरित मक्का के साथ कल्चर वितरण हेतु चर्चा की गयी अवगत कराया गया कि 50 प्रतिशत कल्चर सातों ब्लाक में बीज के साथ दिया जा चुका है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा वाटरशेड परियोजना संबंधी जानकारी प्राप्त की गयी । परियोजना के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया । माननीय सदस्यों द्वारा कोयलीबेड़ा क्षेत्र में कम वर्षा होने संबंधी चर्चा की गयी । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा कलेक्टर महोदय के संज्ञान से इस पर पृथक विमर्श एवं सभी ब्लाकों के लिए ग्राम सेवकों की उपस्थिति में योजना तैयार किये जाने हेतु आगामी योजना की रूपरेखा से अवगत कराया गया ।

(कार्यवाही उप संचालक कृषि/डीआरसीएस)

एजेण्डा कमांक 5

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा समस्त स्थायी समिति के सचिवों को निर्देशित किया गया कि अपने–अपने विभाग से संबंधित स्थायी समिति की बैठकों का नियमित आयोजन करें । कृषि विभाग द्वारा दिनांक 05 अगस्त को बैठक आहुत किये जाने की जानकारी दी गयी । संचार संकर्म समिति की बैठक संपन्न हो जाने किन्तु समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर अब तक कार्यवाई नहीं होने की जानकारी से माननीय सदस्य श्री ठाकुर द्वारा अवगत कराया गया । सहकारिता उद्योग संबंधी बैठक हो अगस्त में संपन्न हो जाने, की जानकारी दी गयी । शिक्षा एवं वन समिति के सचिव को इस माह बैठक आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बैठक हेतु 16 तारीख की तिथि नियत किये जाने की सूचना दी गयी ।

(कार्यवाही समस्त सचिव स्थायी समिति)

अन्य एजेण्डा

अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग कांकेर के पत्र क्रमांक 4872/अ.अ/कार्य/187–17 कांकेर दिनांक 18.8.2017 द्वारा प्राप्त आर.आर.पी ॥ में कांकेर जिले के अंतर्गत कांकेर– साल्हेटोला (दुधावा) विश्रामपुरी – केशकाल मार्ग लंबाई 82.90 कि.मी. स्वीकृत है । जिसमें से उक्त मार्ग के भाग कांकेर–दुधावा मार्ग लंबाई 25.80 कि.मी. 7.00 मीटर चौड़ाई में है । उक्त मार्ग के 7.00 मीटर चौड़ाई वाले भाग के स्थान पर कांकेर जिले के 02 मार्गों का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है तथा नारायणपुर जिले के अंतर्गत धौड़ाई से बयानार मार्ग बाई 15.00 कि.मी. स्वीकृत है जो पीएमजीएसवाय के अंतर्गत निर्माणाधीन है, के स्थान पर कांकेर जिले के 01 मार्ग का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है । उक्त प्रस्तावित मार्गों के प्रेषण बाबत् जिला पंचायत सामान्य सभा द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया ।

माननीय सदस्य श्रीमती धीरज नेताम द्वारा पीढ़ापाल, पुलिया, मोदे, तेलावट का कार्य अधूरा होने संबंधी ध्यानाकर्षण किया गया । उपस्थित विभागीय अधिकारी द्वारा ठेकेदार परिवर्तित किये जाने की जानकारी दी गयी । मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया गया कि इसका निरीक्षण कर आवश्यकतानुरूप काजवे निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला पंचायत प्रेषित किया जावे ।

माननीय सदस्य श्री हेमेन्द्र बंटी ठाकुर द्वारा कहाड़गोंदी, तिरकादंड किचन शेड की छत हवा में उड़ जाने हेतु अवगत कराया गया । निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत के माध्यम से इसकी मरम्मत करा ली जावे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माह अप्रेल मई से गडढा खोदकर छोड़ दिये जाने से अंतागढ़ से नवांगाव, गोडरी, कांता, मुसबंल मार्ग निर्माण का कार्य धीमी गति से चलने की जानकारी दी गयी । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किये जाने हेतु कार्यपालन अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को निर्देशित किया गया ।

अंत में उपस्थित पदाधिकारियों/अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी ।

(ऋचा प्रकाश चौधरी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/346/जि.पं./सा.सभा/2017 कांकेर, दिनांक 06.09.2017

प्रतिलिपि :–

सर्व संबंधित प्रभारी, DPM E-Panchayat, E-Portal, में uplode हेतु

को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत,
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)